'अपार' ID पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

'अपार' ID पर नया नियम, पैरेंट्स को मिलेगा विकल्प

NEW DELHI (20 July): सुप्रीम कोर्ट ने 'अपार' (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) ID को लेकर बड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि वह सीबीएसई को उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देगा. इस फैसले के तहत 'अपार' ID के लिए इस्तेमाल होने वाले कंसेंट फॉर्म में बदलाव किया जाएगा, ताकि अभिभावकों को साफ तौर पर सहमति देने या योजना से बाहर रहने का विकल्प मिल सके. कोर्ट ने कहा कि किसी भी अभिभावक पर सहमति देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. साथ ही छात्रों के अधिकारों और निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया.

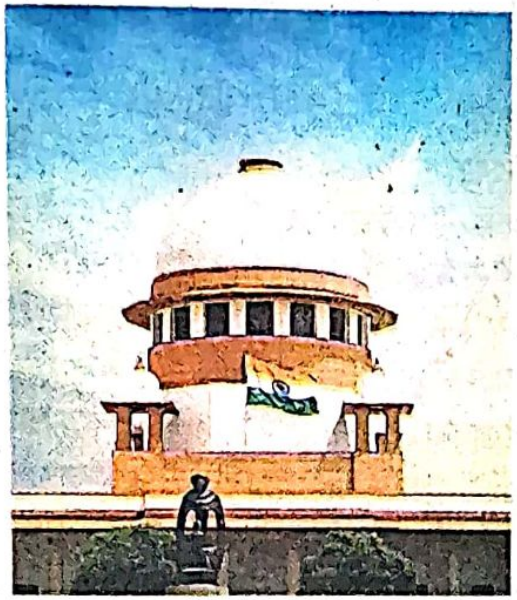

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने माना कि 'अपार' ID से छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड संभालने में सुविधा होगी, प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. और सभी संबंधित एजेंसियों को नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा.

क्या है पूरा मामला?

कुछ अभिभावकों ने याचिका दायर कर कहा था कि 'अपार' ID को भले ही वैकल्पिक बताया जा रहा हो, लेकिन कई जगह इसे अनिवार्य की तरह लागू किया जा रहा है. उनका कहना था कि आधार और 'अपार' ID के बिना छात्रों को परीक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता. यह भी दलील दी कि इससे छात्रों और अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बन रहा है तथा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कई स्कूलों में अभिभावकों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि 'अपार' ID पूरी तरह स्वैच्छिक है. इसके कारण कई परिवारों ने मजबूरी में सहमति पत्र भर दिए. उनका कहना था कि बिना स्पष्ट और सूचित सहमति के किसी भी छात्र का व्यक्तिगत डेटा एकत्र नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और डेटा संरक्षण कानून का पालन हो.